

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एवं व्यक्ति कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बल से ही किया जावे।  
कि निम्नी अब प्रधानिकारी के नाम है।  
सम्बोधित विषय पत्र यहि पूर्ण में पत्र  
व्यक्ति हुआ हो तो पत्र छापक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संरक्षण हो।



ग्राह : वृत्तिगतिर्थ  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/एफ/सम्बद्धता/2009/ ५८६

दिनांक: २५/१२/२१

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जी.आई.टी.एस. महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2448801) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित सम्बद्धता एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों विषयों की अस्वाच्छता सम्बद्धता हेतु अबुलांगारे प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/व्याधी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय आयोजित 1973 के परिवेद्यम 27(10) के अन्वेतन विभागानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है।

(1) प्रो. जे.ए.जे. गौतम, आवार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि.पि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)

(2) प्रो. उमेश होलाली, आवार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागानुसार, मैनेजमेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्राक्षणानों के अड्डेलूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घोटार गणि, वाईट शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनुग्रहित प्रमाण-पत्र, ग्रन्थ, ग्रीड़ परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिफिस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुलांगारे अकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचबा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक ने विवेदन है कि वे उत्तर विधीनित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन लगा करने का उत्तराधिकार विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का प्रावार्य दोनों के बाद विरीक्षण मै.कॉ.बैर्ड-देटी के द्वापर महाविद्यालय स्वरूप उत्तराधिकारी होगा। जिसकी सूचबा अनुसूत, उत्तर विश्वा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति इसके बावजूद और पुकार विरीक्षण समिति गवर्नर हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- चाला करवे होंगे। तत्पश्चात ही विरीक्षण समिति का पुराना बदल दिया जायेगा। परिवेद्यम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिंबा छात्रों के प्रवेश देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यात्मक अधीक्षक / कार्यालय सचिवक अधिकारी लेकर जर्येमें दूसरा महाविद्यालय की अनुसूतियों से विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

30/12/13  
कुलसचिव

#### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि दोनों के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उत्तर विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आनुसूत उत्तर विश्वा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियमी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R.M.  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समसन पत्र क्लबहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए त  
कि जीवाजी अन्वेषणिकारी के नाम है।  
कल्याचित् विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
ध्यानहार हुआ हो तो पत्र क्रमावधि दिनांक  
अवश्य लिखा जाए जिससे संतुष्टि हो।



पत्र : वृत्तिकारी  
दूरभास : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रियक :**

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
व्यालियर

द्वाराकांक:एफ/सम्बन्धता/2009/ ५२२६

दिनांक: ३०-८-१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध जी.आई.टी.ए.ल. महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2448801) को उत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित एडब्ल्यू.ए., प्राथमिक कक्षा/पाठ्यक्रमों की अस्थायी अन्वयनता हेतु अनुशासाएँ प्रदान करने के लिये मानकीय कुलपति गठोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत लिभ्रानुसार नियमिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डॉ. ए.न. गौतम, कुलसचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
(0751-2442603)

(संयोजक)

(2) प्रो. डॉ. ए.न. गोप्तव्यी, आधार्य, कल्पकूट संस्कृत अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. ए.स. अकबर, आधार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

नियमिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/29 के प्रावाहानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियमिति करे शुल्क, धरोहर संशोधन, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक ट्रैफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनुपत्ति प्राप्ति-पत्र, भवन, कीमत गरिमा एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेंस तथा प्रियों संत्र व दी गई सत्रों की पूर्ति जय प्रमाण पत्र के तथा प्रावाह्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रैफ़ की नियुक्तियों का प्रभाग एवं घोषित आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशासान अंकित करें। नियमिति धाराय/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्वर नियमिति समय में नियमिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा प्राप्ति करनी चाही जाए। नियमिति उपोक्त द्वारा लियेवज्र है कि वे उक्त नियमिति समय में नियमिति करें एवं प्रतिवेदन 07 दिनों में विश्वविद्यालय अध्यालय में जमा करें। नियमिति प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित नियमिति / संयोजक का होगा।

नियमिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद नियमिति में की जई देशी के लिये महाविद्यालय स्वयं उत्तराधी होगा। नियमिति कुप्रता आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में नियमिति बही करता है तो नियमिति स्वयं नियमिति हो जावेगी और पुनः नियमिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड ऊपर रु. 25,000/- जगत करने होंगे। नियमिति ही नियमिति समिति का पुर्वज्ञन किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन घर्जों को प्रवेश देना जरूरी नियमिति है।

नियमिति के आवाज सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय संचालक प्रशाकली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से नियमिति समिति को अवगत करवेंगे। नियमिति के सदस्यों ने दी.ए. / डी.ए. / भावदेव विश्वविद्यालय छात्र देख लेगा।

*3*  
*3*  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावाह्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर शेजर आग्रह है कि अकिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियमिति दिनांक नियमिति कर महाविद्यालय का नियमिति करावें। उक्त नियमिति 15 दिनों के अन्वर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*R. B.*  
सहा. कुलसचिव (अन्वयनता)